

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 10 जनवरी, 2018 / 20 पौष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जनवरी, 2018

संख्याः एल0सी0डी0—एच(2)— 5/2016.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्याक 18) की धारा 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल0सी0डी0—एच(2)— 5/2016 दिनांक 26-07-2016 द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची—I में जोड़ी गई प्रविष्टि "36. श्री रघुनाथ मन्दिर, सुल्तानपुर, जिला कुल्लू" का लोप करते हैं।

आदेश द्वारा, (पूर्णिमा चौहान), मुख्य आयुक्त (मन्दिर) एवं सचिव (भाषा,कला एवं संस्कृति)।

\_\_\_\_\_

[Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-H(2)-5/2016 dated 08-01-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

## LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 8<sup>th</sup> January, 2018

**No.** LCD-H(2)-5/2016.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of powers conferred under section 29 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984) is pleased to omit entry "36. Shri Raghunath Temple, Sultanpur, District Kullu" (added in Schedule-I appended to the Act ibid vide this department notification No. LCD-H(2)- 5/2016 dated 26-07-2016).

By order, (PURNIMA CHAUHAN), Chief Commissioner (Temple)-cum-, Secretary (LAC).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)—51/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

## अनुसूची

	<del></del>				o <del>}</del> _	TITEST			<b>A</b>
क्रम	नस्ति	वन का	हदबस्त	खसरा	क्षेत्र	मुख्य .	वन	वन	जिला
संख्या	संख्या	नाम	नम्बर	नम्बर	हैक्टेयर	सीमाएं	परिक्षेत्र	मण्डल	
		जिसे	सहित		में				
		सीमांकित	मुहाल						
		संरक्षित	का नाम						
		वन में							
		परिवर्तित							
		किया							
		जाना							
		अपेक्षित							
		है							
1.	21 / 2004	शाई	शाई	364 / 1,	39-34-43	उत्तरः	<u> </u> ियोग	<u> </u> ियोग	शिमला
		प्रथम		395, 397,		महाल			
				539 / 1,		मान्दला			
				692, 694,		0			
				701		दक्षिणः			
				<del></del>		महाल कोट,शाई			
				किता ७		काट,शाइ			
						पूर्व:			
						<sup>र्</sup> महाल			
						मान्दला			
						व रैल			
						पश्चिमः			
						महाल			
						शाई			

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-51/2014, dated\_7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

#### FORESTS DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla -2, the 7th December, 2017

**Notification No.FFE-B-F(14)-51/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

#### **SCHEDULE**

Sr.	File No.	Name	Name of	Khasra	Area in	Cardinal	Forest	Forest	District
No.	required to	of	Muhal	No.	Hectt.	Boundaries	Range	Division	
	be	Forest	with						
	converted		Hadbast						
	into		No.						
	Demarcated								
	Protected								
	Forests								
1.	21/2004	Shai-I	Shai	364/1, 395,	39-34-43	North:Muhal	Theog	Theog	Shimla
				397,		Mandla			
				539/1, 692,		Caratles Made 1			
				694,		South: Muhal			
				701		Kot, Shai			
				Kitta 7		East:Muhal			
				7		Mandla, Rail			
						, 1001			
						West:Muhal			
						Shai			

By order, TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)—52/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

## अनुसूची

क्रम	नस्ति	वन का	हदबस्त	खसरा	क्षेत्र	मुख्य	वन	वन	जिला
संख्या	संख्या	नाम	नम्बर	नम्बर	हैक्टेयर	सीमाएं	परिक्षेत्र	मण्डल	
		जिसे	सहित		में				
		सीमांकित	मुहाल						
		संरक्षित	का नाम						
		वन में							
		परिवर्तित							
		किया							
		जाना							
		अपेक्षित है							
1.	22 / 2004	शिली	शिली	5, 18, 36,	102-80-56	उत्तरः	<u> </u> ियोग	<u> </u> ियोग	शिमला
		मैहला	मैहला	84, 118,		कैलबेउला,			
				119, 120,		चडैल			
				121, 124,		बाईला			
				128, 130,					
				242, 249,		दक्षिणः			
				250, 254,		कनासी,			
				277, 278,		शेर			
				290, 313,		डगौन			
				339, 448,					
				474, 533,		पूर्वः महाल			
				540, 555,		चटोग,			
				608		नागपूर, शिली			
				किता २६		।शला मैहला			
				197(11-26		୩୪୯୮			
						पश्चिमः			
						दरभाग दरभाग			
						परगाग			

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-51/2014, dated\_7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla -2, the 7th December, 2017

**Notification No.FFE-B-F(14)-51/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

#### **SCHEDULE**

Sr. No.	File No. required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Forest	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	22/2004	Shili Maihla	Shili Maihla	5, 18, 36, 84, 118, 119, 120, 121, 124, 128, 130, 242, 249, 250, 254, 277, 278, 290, 313, 339, 448, 474, 533, 540, 555, 608 Kitta - 26	102-80-56	North: Keil Beula, Chadel Baila South: Kanasi, Ser Dagon East:Muhal Chatog, Nagpur, Shili Mehla West:Darbhog	Theog	Theog	Shimla

By order, TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

## वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)—53 / 2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि /बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

## अनुसूची

क्रम	नस्ति	वन का	हदबस्त	खसरा	क्षेत्र	मुख्य सीमाए	वन	वन	जिला
संख्या	संख्या	नाम	नम्बर	नम्बर	हैक्टेयर	3,	परिक्षेत्र	मण्डल	
		जिसे	सहित		में				
		सीमांकित	मुहाल						
		संरक्षित	का नाम						
		वन में							
		परिवर्तित							
		किया जाना							
		अपेक्षित है							
		OI HIGHT O							
1.	1/2004	खलौत	शलोहा	350,	21-51-92	उत्तरः	बलसन	<u> </u>	शिमला
	,	द्वितीय	पालवी	383,		महाल			
				412,		छैला			
				420,					
				421,		दक्षिणः			
				422,		महाल			
				424,		घूण्ड			
				425, 428,		पूर्वः महाल			
				420, 469,		पालवी			
				470,		110141			
				471,		पश्चिम:महाल			
				472,		शलोहा			
				473, 474					
				398,					
				402, 403					
				किता १८					

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

\_\_\_\_

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-53/2014, Dated\_\_7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 7th December, 2017

**Notification No.FFE-B-F(14)-53/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

#### **SCHEDULE**

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	1/2004	Khalout-II	Shaloha Palvi	350, 383, 412, 420, 421, 422, 424, 425, 428, 469, 470, 471, 472, 473, 474 398, 402, 403 Kitta 18	21-51-92	North: Muhal Chaila South: Muhal Ghund East:Muhal Palvi West: Muhal Shaloha	Balson	Theog	Shimla

By order, TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)—54/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	2/2004	खलौत प्रथम	पालवी	1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 54, 57 किता 10	13-07-94	उत्तरः उप महाल उलवी व महाल खाहर दक्षिणः मजरूआ रक्षा महाल सालवी पूर्वः मजरूआ रक्षा महाल सालवी प्रह्माः महाल सालवी	बलसन	<b>डियोग</b>	शिमला

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-54/2014, dated\_\_7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

#### FORESTS DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla -2, the 7th December, 2017

**Notification No.FFE-B-F(14)-54/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

## **SCHEDULE**

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	2/2004	Khalout-I	Palvi	13-07-94	1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 54, 57 Kitta 10	North: Up Muhal Ulvi & Muhal Khahar South:Cultivated land Muhal Salvi East Cultivated land Muhal Salvi West: Muhal Chaila	Balson	Theog	Shimla

By order, **TARUN KAPOOR** *Additional Chief Secretary (Forests).* 

## वन विभाग

## अधिसूचना

## शिमला -2, 6 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)—55/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	3/2004	खाहर खाहर	खाहर	1, 2/1, 60, 61, 68 किता 5	13-29-08	उत्तरः महाल उलवी दक्षिणः महाल पालवी पूर्वः महाल पालवी पश्चिमः महाल खाह	बलसन	<u> </u>	शिमला

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-55/2014, dated\_6th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla -2, the 6th December, 2017

**Notification No.FFE-B-F(14)-55/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

## **SCHEDULE**

Sr.	File No.	Name of	Name of	Khasra	Area in	Cardinal	Forest	Forest	District
No.		Forest	Muhal	No.	Hectt.	Boundaries	Range	Division	
		required to	with						
		be	Hadbast						
		converted	No.						
		into							
		Demarcated							
		Protected							
		Forests							
1.	3/2004	Khahar	Khahar	1, 2/1,	13-29-	North:	Balson	Theog	Shimla
				60, 61,	08	Muhal Ulvi			
				68					
						South:			
				Kitta 5		Muhal Palvi			
						East:Muhal			
						Palvi			
						West:Muhal			
						Khahar			

By order, TARUN KAPOOR. Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)—56/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हेक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	4/2004	बागड़ा	पालवी	625, 628, 630, 643, 647, 648, 649, 657, 658, 661, 667, 671, 672, 673, 677, 678, 680, 681	8-09-57	उत्तरः मजरूआ रक्षा महाल पालवी दक्षिणः डीपीएफ घूण्ड पूर्वः मजरूआ रक्षा महाल पालवी पश्चिमः महाल शलोहा	बलसन	<u> </u> िवयोग	शिमला

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-56/2014, dated\_\_7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla -2, the 7th December, 2017

**Notification No.FFE-B-F(14)-56/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

## **SCHEDULE**

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	4/2004	Bagra	Palvi	625, 628, 630, 643, 647, 648, 649, 657, 658, 661, 667, 671, 672, 673, 677, 678, 680, 681	8-09-57	North:Cultivated land Muhal Palvi South: DPF Ghund East: Cultivated land Muhal Palvi West:Muhal Shaloha	Balson	Theog	Shimla

By order, **TARUN KAPOOR** *Additional Chief Secretary (Forests).* 

## वन विभाग

## अधिसूचना

## शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)—57/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	5/2004	बलाला	बनाहल	191, 308, 309, 311 / 1, 312, 313, 315, 329, 346, 377, 384!1, 407, 408 / 1, 433, 436, 456, 467, 468, 469, 472, 473	37-88-72	उत्तरः महाल बनाहल व दसाणा दक्षिणः डी.पी.एफ. घूण्ड व महाल बनाहल पूर्वः डी.पी. एफ. बीरन पश्चिमः डी.पी.एफ. घूण्ड	बलसन	<u> </u> ियोग	शिमला

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-58/2014, dated\_\_7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

#### FORESTS DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla -2, the 7th December, 2017

**Notification No.FFE-B-F(14)-58/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

## **SCHEDULE**

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	5/2004	Balala	Banahal	191, 308, 309, 311/1, 312, 313, 315, 329, 346, 377, 384/1, 407, 408/1, 433, 436, 456, 467, 468, 469, 472, 473	25-03-88	N: Muhal Bnahal, Dasana S: DPF Ghund, Muhal Bnahal E:DPF Biran W:DPF Ghund	Balson	Theog	Shimla

By order, TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

## वन विभाग

## अधिसूचना

## शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)—58/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	6/2004	पालो	पालवी	104, 195, 887 / 1, 890, 891, 892, 899, 989, 1005 / 1, 1006,1008, 1009,1010, 1238 / 1, 1239, 1280,1282, 1283, 1285,1290, 1292, 1294,1296, 1297, 1299, 1300,1301, 1303, 1304, 1306,1307,1308, 1310	25-03-88	उत्तरः महाल खाहर दक्षिणः डी.पी.एफ. घूण्ड व महाल पालवी पूर्वः महाल खाहर पश्चिमः मजरूआ रक्षा महाल	बलसन	<u>ठियो</u> ग	शिमला

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-58/2014, dated\_\_7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

#### FORESTS DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla -2, the 7th December, 2017

**Notification No.FFE-B-F(14)-58/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

## **SCHEDULE**

Sr.	File No.	Name of	Name	Khasra	Area in	Cardinal	Forest	Forest	District
No.		Forest	of	No.	Hectt.	Boundaries	Range	Division	
		required to	Muhal						
		be	with						
		converted	Hadbast						
		into	No.						
		Demarcated							
		Protected							
		Forests							
1.	6/2004	Palo	Palvi	104, 195,	25-03-88	North: Muhal	Balson	Theog	Shimla
				887/1,		Khahar			
				890, 891,		South: DPF			
				892, 899,		Ghund, Muhal			
				989,		Palvi			
				1005/1,		East:Muhal			
				1006,		Khahar			
				1008,		West:Cultivated			
				1009,		land Muhal			
				1010,		Palvi			
				1238/1,					
				1239,					
				1280,					
				1282,					
				1283,					
				1285,					
				1290,					
				1292,					
				1294,					
				1296,					
				1297,					
				1299,					
				1300,					

1301,	
1303,	
1304,	
1306,	
1307,	
1308,	
1310	
Kitta 33	

By order, TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

## वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ (14) 171/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

## अनुसूची

क्रम	नस्ति	वन का नाम	हदबस्त	खसरा	क्षेत्र	मुख्य सीमाएं	वन	वन	जिला
संख्या	संख्या	जिसे	नम्बर	नम्बर	हैक्टेयर		परिक्षेत्र	मण्डल	
		सीमांकित	सहित		में				
		संरक्षित	मुहाल						
		वन में	का नाम						
		परिवर्तित	471 11 1						
		किया जाना							
		अपेक्षित है							
1.	1/2001	डोडवाल्टी	चांशल	3/1	222-88-30	उत्तरः	डोडरा	रोहडू	शिमला
		गाड	धार			महाल	क्वार		
						चांशलधार			
						दक्षिणः			
						महाल			
						इस्त्रीगाड़			
						Z **** ***			
						पूर्वः महाल			
						चांशलधार			
						पारालवार			
						पश्चिमः			
						महाल			
						चांशलधार			
						चौहारा			

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-171/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 7th December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-171/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

## **SCHEDULE**

S. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	1/2001	Dodwalti Gad	Chanshal Dhar	3/1	222-88-30	North: Muhal Chanshal Dhar  South: Muhal IstriGad  East: Muhal Chanshal Dhar  West: Muhal Chanshal Dhar  Chanshal Dhar Chanshal Dhar Chohara	Dodra Kawar	Rohru	Shimla

By order, TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

## वन विभाग

## अधिसूचना

## शिमला-2 6 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ (14) 172/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	5/2002	टंगणखाई	इन्द्रसैन धार	1/1	167—90—06	उत्तरः महाल लम्बीधार दक्षिणः महाल इन्द्रसैन धार पूर्वः महाल लम्बी धार पश्चिमः महाल पेखा दिउदी	डोडरा क्वार	रोहडू	शिमला

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 172/2014, Dated 6th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 6th December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-172/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

#### **SCHEDULE**

S. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	5/2002	Tangan Khai	Indersain Dhar	1/1	167-90-06	North:Muhal Lambi Dhar South: Muhal Indrasain Dhar East: Muhal Lambi Dhar West: Muhal Pekha Deudi	Dodra Kawar	Rohru	Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

## वन विभाग

## अधिसूचना

## शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ (14)173/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय—4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पष्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

## अनुसूची

क्रम.	नस्ति	वन का	हदबस्त	खसरा	क्षेत्र	मुख्य	वन	वन	जिला
संख्या	संख्या	नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	नम्बर सहित मुहाल का नाम	नम्बर	हैक्टेयर में	सीमाए	परिक्षेत्र	मण्डल	
1.	6/2002	माझीवन	भराड़ासर धार	23/1	541-96-02	उत्तरः महाल भराड़ासर धार दक्षिणः सीमा तहसील परौला जिला उतरकाशी पूर्वः सीमा जिला किनार पश्चिमः महाल भराड़ासर धार	डोडरा क्वार	रोहडू	षिमला

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-173/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 7th December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-173** /**2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

## **SCHEDULE**

S. No.	File No.	Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	6/2002	MajhiVan	Bharadasar Dhar	23/1	541-96-02	North:Muhal Bharadasar Dhar South: Teh. Parola District Uttar Kashi East: Boundary Distt. Kinnaur West: Muhal Bharadasar	Dodra Kawar	Rohru	Shimla

By order, TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

## हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## अधिसूचना

## धर्मशाला-176 215, 9 जनवरी, 2018

सं0: वि0स0—विधायन—शपथ / 1—2 / 2018.——भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निम्न सदस्यों ने सभा में अपने स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचना संख्याः जी०ए०डी०(पी०ए०)4 (डी)—7 / 90, दिनांक 6 जनवरी, 2018 द्वारा नियुक्त सामयिक अध्यक्ष, श्री रमेश चंद ध्वाला के समक्ष 9 जनवरी, 2018 को शपथ ग्रहण की :—

1.	श्री जय राम ठाकुर
2.	श्री महेन्द्र सिंह
3.	श्री किशन कपूर
4.	श्री सुरेश भारद्वाज
5.	श्री अनिल शर्मा
6.	श्रीमती सरवीन चौधरी
7.	डॉ0 राम लाल मारकण्डा
8.	श्री विपन सिंह परमार
9.	श्री विरेन्द्र कंवर
	श्री बिक्रम सिंह
11.	श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
12.	डॉ0 राजीव सैजल
13.	श्री मुकेश अग्निहोत्री
14.	श्री वीरभद्र सिंह
15.	श्री हंस राज
	श्री जिया लाल
17.	श्री पवन नैय्यर
	श्रीमती आशा कुमारी
	श्री बिक्रम सिंह जरयाल
20.	श्री राकेश पठानिया
	श्रीमती रीता देवी
22.	श्री सुजान सिंह पठानिया
23.	श्री अर्जुन सिंह
	श्री होशयार सिंह
	श्री रविन्द्र कुमार
	श्री अरुण कुमार
27.	श्री पवन कुमार काजल
28.	श्री आशीष बुटेल
29.	श्री मूलख राज
30.	श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
31.	श्री सुरेन्द्र शौरी
32.	श्री किशोरी लाल
33.	श्री हीरा लाल
34.	श्री राकेश कुमार
35.	श्री विनोद कुमार
36.	श्री जवाहर ठाकुर
37.	श्री प्रकाश राणा

38. श्री इन्द्र सिंह

```
(29—सिराज़)
(32—धर्मपुर)
(18–धर्मशाला)
(63—शिमला)
(33—मण्डी)
(१७—शाहपुर)
(21–लाहौल और स्पिति) अ०ज०जा०
(14—सुलह)
(४५—कुटलैहड़)
(11–जसवां प्रागपुर)
(22—मनाली)
(54–कसौली) अ०जा०
(43—हरोली)
(50-अर्की)
(1—चुराह) अ०जा०
(2–भरमौर) अ०ज०जा०
(3-चम्बा)
(4—डलहौजी)
(५–भटियात)
(६—नूरपुर)
(7–इन्दौरा) अ०जा०
(८–फतेहपुर)
(9-ज्वाली)
(10—देहरा)
(13-जयसिंहपुर) अ०जा०
(15—नगरोटा)
(१६–कांगड़ा)
(19—पालमपुर)
(२०–बैजनाथ) अ०जा०
(23—कुल्लू)
(24—बन्जार)
(25-आनी) अ0जा0
(२६–करसोग) अ०जा०
(27—सुन्दरनगर)
(28-नाचन) अ0जा0
(30—दरंग)
```

(31—जोगिन्द्रनगर)

(34-बल्ह) अ0जा0

	राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जनवरी,	2018 / 20 पौष, 1939
39.	श्री इन्द्र सिंह	(३५—सरकाघाट)
40.	श्रीमती कललेश कुमारी	(36—भोरंज) अ०जा०
	श्री राजेन्द्र राणा	(37—सुजानपुर)
42.	श्री नरेन्द्र टाकुर	(38–हमीरपुर)
	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	(39—बड़सर)
44.	श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू	(40—नदौन)
45.	श्री बलवीर सिंह	(४1–चिन्तपुरनी) अ०जा०
46.	श्री राजेश ठाकुर	(42—गगरेट)
47.	श्री सतपाल सिंह रायज़ादा	(44—ऊना)
48.	श्री जीत राम कटवाल	(४६—झण्डुता) अ०जा०
49.	श्री राजिन्द्र गर्ग	(४७—घुमारवीं)
50.	श्री सुभाष ठाकुर	(48—बिलासपुर)
	श्री राम लाल ठाकुर	(49—श्री नैना देवी जी)
52.	श्री लखविन्द्र सिंह राणा	(51—नालागढ़)
53.	श्री परमजीत सिंह	(52—दून)
54.	डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल	(53—सोलन) अ0जा0
55.	श्री सुरेश कुमार कश्यप	(५५—पच्छाद) अ०जा०
56.	डॉo राजीव बिन्दल	(56—नाहन)
57.	श्री विनय कुमार	(57—श्री रेणुकाजी) अ०जा०
58.	श्री सुख राम	(58—पांवटा साहिब)
	श्री हर्षवर्धन चौहान	(59—शिलाई)
60.	श्री बलबीर सिंह वर्मा	(60—चौपाल)
61.	श्री राकेश सिंघा	(61–6ियोग)
62.	श्री अनिरूद्ध सिंह	(62—कसुम्पटी)
63.	श्री विक्रमादित्य सिंह	(64—शिमला ग्रामीण)
64.	श्री नरेन्द्र बरागटा	(६५—जुब्बल—कोटखाई)
65.	श्री नन्द लाल	(६६—रामपुर) अ०जा०
66.	श्री मोहन लाल ब्राक्टा	(६७—रोहर्डू) अ०जा०
67.	श्री जगत सिंह नेगी	(६८–किन्नौर) अ०ज०जा०
		आदेश द्वारा,
		(सुन्दर सिंह वर्मा),
		सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

\_\_\_\_\_

## HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

## **NOTIFICATION**

Dharamshala, the 9<sup>th</sup> January, 2018

**No. VS-Legn.-Oath/1-2-2018.**—In pursuance of Article 188 of the Constitution of India the following elected Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, before taking their seats, made and subscribed before Shri Ramesh Chand Dhwala, Speaker Pro-tem appointed in this behalf by the Governor *vide* Notification No.GAD (PA)-4(D)-7/90 , dated  $6^{th}$  January, 2018 an oath/affirmation on the  $9^{th}$  January, 2018 :—

Sh. Jai Ram Thakur
 Sh. Mahender Singh
 Sh. Kishan Kapoor
 Sh. Kishan Kapoor

4.	Sh.	Suresh	Bhardwaj
----	-----	--------	----------

- 5. Sh. Anil Sharma
- Smt. Sarveen Choudhary 6.
- Dr. Ram Lal Markanda 7.
- Sh. Vipin Singh Parmar Sh. Virender Kanwar
- 10. Sh. Bikram Singh
- 11. Sh. Gobind Singh Thakur
- 12. Dr. Rajeev Saizal
- 13. Sh. Hans Raj
- 14. Sh. Jia Lal
- 15. Sh. Pawan Nayyar
- 16. Smt. Asha Kumari
- 17. Sh. Bikram Singh Jaryal
- 18. Sh. Rakesh Pathania
- 19. Smt. Reeta Devi
- 20. Sh. Sujan Singh Pathania
- 21. Sh. Arjun Singh
- 22. Sh. Hoshyar Singh
- 23. Sh. Ravinder Kumar
- 24. Sh. Arun Kumar
- 25. Sh. Pawan Kumar Kajal
- 26. Sh. Ashish Butail
- 27. Sh. Mulkh Raj
- 28. Sh. Sunder Singh Thakur
- 29. Sh. Surender Shourie
- 30. Sh. Kishori Lal
- 31. Sh. Hira Lal
- 32. Sh. Rakesh Kumar
- 33. Sh. Vinod Kumar
- 34. Sh. Jawahar Thakur
- 35. Sh. Prakash Rana 36. Sh. Inder Singh
- 37. Sh. Inder Singh
- 38. Smt. Kamlesh Kumari
- 39. Sh. Rajinder Rana
- 40. Sh. Narinder Thakur
- 41. Sh. Inder Dutt Lakhanpal
- 42. Sh. Sukhvinder Singh Sukhu
- 43. Sh. Balbir Singh
- 44. Sh. Rajesh Thakur
- 45. Sh. Mukesh Agnihotri
- 46. Sh. Satpal Singh Raizada
- 47. Sh. Jeet Ram Katwal
- 48. Sh. Rajinder Garg
- 49. Sh. Subhash Thakur
- 50. Sh. Ram Lal Thakur
- 51. Sh. Virbhadra Singh
- 52. Sh. Lakhvinder Singh Rana
- 53. Sh. Paramjeet Singh
- 54. Dr.(Col.) Dhani Ram Shandil
- 55. Sh. Suresh Kumar Kashyap

- 63-Shimla
- 33-Mandi
- 17-Shahpur
- 21-Lahaul & Spiti (S.T.)
- 14-Sullah
- 45-Kutlehar
- 11-Jaswan-Paragpur
- 22-Manali
- 54-Kasauli (S.C.)
- 1-Churah (S.C.)
- 2-Bharmour (S.T.)
- 3-Chamba
- 4-Dalhousie
- 5-Bhattiyat
- 6-Nurpur
- 7-Indora (S.C.)
- 8-Fatehpur
- 9-Jawali
- 10-Dehra
- 13-Jaisinghpur (S.C.)
- 15-Nagrota
- 16-Kangra
- 19-Palampur
- 20-Baijnath (S.C.)
- 23-Kullu
- 24-Baniar
- 25-Anni (S.C.)
- 26-Karsog (S.C.)
- 27-Sundernagar
- 28-Nachan (S.C.)
- 30-Darang
- 31-Jogindernagar
- 34-Balh (S.C.)
- 35-Sarkaghat
- 36-Bhoranj (S.C.)
- 37-Sujanpur
- 38-Hamirpur
- 39-Barsar
- 40-Nadaun
- 41-Chintpurni (S.C)
- 42-Gagret
- 43-Haroli
- 44-Una
- 46-Jhanduta (S.C.)
- 47-Ghumarwin
- 48-Bilaspur
- 49-Sri Naina Deviji
- 50-Arki
- 51-Nalagarh
- 52-Doon
- 53-Solan(S.C.)
- 55-Pachhad (S.C.)

56.	Dr. Rajiv Bindal	56-Nahan
57.	Sh. Vinay Kumar	57-Sri Renukaji (S.C.)
58.	Sh. Sukh Ram	58-Paonta Sahib
59.	Sh. Harshwardhan Chauhan	59-Shillai
60.	Sh. Balbeer Singh Verma	60-Chopal
61.	Sh. Rakesh Singha	61-Theog
62.	Sh. Anirudh Singh	62-Kasumpti
63.	Sh. Vikramaditya Singh	64-Shimla Rural
64.	Sh. Narinder Bragta	65-Jubbal-Kotkhai
65.	Sh. Nand Lal	66-Rampur (S.C.)
66.	Sh. Mohan Lal Brakta	67-Rohru (S.C.)
67.	Sh. Jagat Singh Negi	68-Kinnaur (S.T.)

By order, (SUNDER SINGH VERMA), Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

## In the Court of Shri Bal Krishan, HPAS, Sub-Divisional Magistrate (Civil) Bharmaur, District Chamba (H. P.)

Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Dharam Chand, resident of Village Patti, P.O. Bharmaur, Tehsil Bharmaur, District Chamba, H. P. . . . . Applicant.

#### Versus

#### General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Dharam Chand, resident of Village Patti, P.O. Bharmaur, Tehsil Bharmaur, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit registration of delayed date of birth of his son *i.e.* 26-07-2014 for entry in the record of Gram Panchayat Chobhia, Development Block Bharma Tehsil Bharmaur, District Chamba, H.P. thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if, they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Dikshit Sharma *i.e.* 26-07-2014 for entry in the concerned Gram Panchayat, Chobhia they may file their claim/objections on or before \_\_\_\_\_ in this court failing which necessary orders will be passed to the Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Given today under my signature and seal of the Court.

BAL KRISHAN (HPAS), Sub-Divisional Magistrate (Civil), Bharmaur, District Chamba (H.P.).

## In the Court of Shri Raghav Sharma (I.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of:—

- 1. Shri Manoj Kumar s/o Shri Purshottam, r/o Tandi, P.O. Saroa, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.
- 2. Smt. Reena Devi Thakur d/o Shri leela Nand, r/o Sarandha, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

#### Versus

#### General Public

Subject.— Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Manoj Kumar and Smt. Reena Devi Thakur have filed an application on 19-12-2017 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-11-2017 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-01-2018, The objection received after 19-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAGHAV SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती पवना देवी पत्नी स्व0 श्री सन्तोष कुमार, निवासी गांव सियुण, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता "फरीकदोयम।

श्रीमती पवना देवी पत्नी स्व0 श्री सन्तोष कुमार, निवासी गांव सियुण, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ—पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के पित का वास्तविक नाम सन्तोष कुमार है। परन्तु प्रार्थिन के पित का नाम राजस्व अभिलेख महाल सियुण में सन्तोष सिंह ही दर्ज है। जो गलत है अब नाम दरूरती करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 18–01–2018 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 15-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

\_\_\_\_\_

## ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 16 / 22-12-2017

श्री किसन चन्द पुत्र पौशु, निवासी महाल भलाती, डा० रूमहणी, उप—तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

बनाम

#### आम जनता

विषय.——जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू०—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री किसन चन्द पुत्र पौशु, निवासी महाल भलाती, डा० रूमहणी, उप—तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में किसन चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल घटेहड में गलती से किसन दर्ज हुआ है और उनके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में पौशु दर्ज हुआ है। परन्तु पंचायत रिकार्ड में गलती से दिला राम दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम किसन चन्द रखना चाहता है व अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड के आधार पर पंचायत रिकार्ड में पौशु दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपित हो तो वह दिनांक 18–01–2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपित दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 22-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

## In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Smt. Santosh Verma w/o Lt. Shri Mool Chand, r/o Village & P.O. Shoghi, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public ... Respondent.

Whereas Smt. Santosh Verma w/o Lt. Shri Mool Chand, r/o Village & P.O. Shoghi, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her Daughter named—Ms. Anjana Verma d/o Smt. Santosh Verma w/o Lt. Shri Mool Chand, r/o Village & P.O. Shoghi, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Anandpur, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Ms. Anjana Verma	Daughter	24-03-1984

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Anandpur Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 06-01-2018 under my signature and seal of the court.

, , ,

GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

## ब अदालत श्री उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

<u>वाद संख्या : तारीख दायरा</u> 17/13B of 2017 15-12-2017 तारीख पेशी

23-01-2018

श्री सत्य पाल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी मौजा कोठी देवरा, डा० घट्टी, पटवार सर्कल बेरटी, तहसील व जिला सोलन, हि० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

Seal.

·· प्रतिवादी।

विषय.--कागजात माल में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री सत्य पाल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी मौजा कोठी देवरा, डा० घट्टी, पटवार सर्कल बेरटी, तहसील व जिला सोलन, हि० प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र इस आशय से पेश किया है कि राजस्व अभिलेख महाल कोठी देवरा, पटवार सर्कल बेरटी, तहसील व जिला सोलन के खाता खतौनी नं० 46/49 खसरा नं० 238 में उसका नाम गलती से सतपाल दर्ज किया गया है जबकि उसका नाम सत्य पाल पुत्र श्री मोहन लाल है। उक्त नाम की राजस्व अभिलेख में दरूस्ती हेत् प्रार्थी ने निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के सन्दर्भ में परिवार रस्टिर की प्रति, शपथ पत्र, आधार कार्ड राशन कार्ड की प्रति, पेश की हैं जिसमें प्रार्थी का नाम सत्य पाल दर्शाया गया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23—01—2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर / एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा श्री सत्य पाल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी मौजा कोठी देवरा, डा० घट्टी, पटवार सर्कल बेरटी, तहसील व जिला सोलन द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अपेक्षित दरूस्ती को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर ।

उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Ashutosh Garg, I.A.S., Sub Divisional Magistrate Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No.: ..../ 2017 Date of Inst.: 15-12-2017 Pending for: 22-01-2018

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

## **Notice to the General Public**

Whereas, Shri Chhotu Ram s/o Shri Rehmu, r/o Village Rajpur Jakholi, P.O. Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. and Smt. Raj Rani d/o Sh. Sher Khan and w/o Shri Chhotu Ram s/o Shri Rehmu, r/o Village Rajpur Jakholi, P.O. Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, (H. P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 18-06-2000.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the present time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 20-01-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 20-01-2018, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 20-12-2017.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum- SDM, Nalagarh, District Solan, H. P.

# In the Court of Shri Ashutosh Garg, I.A.S., Sub Divisional Magistrate Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No.: ..../ 2017 Date of Inst.: 16-12-2017 Pending for: 20-01-2018

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

#### **Notice to the General Public**

Whereas, Shri Ajay Kumar s/o Shri Madan Lal, r/o Village Ghansot, P.O. & Tehsil Nalagarh, District Solan, H. P. and Smt. Pooja Devi d/o Sh. Dharam Pal Sharma and w/o Ajay Kumar s/o Shri Madan Lal, r/o Village Ghansot, P.O. & Tehsil Nalagarh, District Solan, H. P. has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 30-01-2012.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the present time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 20-01-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 20-01-2018, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 19-12-2017.

Seal.

Marriage Officer-cum- SDM, Nalagarh, District Solan, H. P.

Sd/-

## In the Court of Shri Hira Lal Thakur, Assistant Collector IInd Grade, Darlaghat, District Solan, H.P.

मिसल नं0: 04 / 13-B of 2017

मुकद्दमा बनाम : श्रीमती सोनू देवी पुत्री सुदामा राम, निवासी गांव कोलका।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

इश्तहार बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती सोनू देवी पुत्री सुदामा राम, निवासी गांव कोलकाए उप-तहसील दाड़लाघाट ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड, पटवार वृत्त दानोघाट में श्रीमती शीला देवी पुत्री सुदामा राम, निवासी गांव कोलका चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थिया का नाम श्रीमती सोनू देवी पुत्री सुदामा है। प्रार्थिया ने शपथ प्रमाण—पत्र की, आधार कार्ड की, परिवार रिजस्टर व स्कूल प्रमाण—पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 18—01—2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-12-2017 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

## ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम

श्रीमती सुरजीत कौर

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी विशन दास, निवासी गांव लालसिंगी, डा0 रायेंसरी, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र सन्दीप कुमार का जन्म गांव लालसिंगी में दिनांक 31–08–1997 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11–01–2018 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-12-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

## ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम

श्री होशियार सिंह

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री होशियार सिंह पुत्र बाबू राम, निवासी मोहल्ला गुरसर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र अनील कन्वर का जन्म गांव मोहल्ला गुरसर में दिनांक 30—10—1974 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15—01—2018 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-12-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

\_\_\_\_\_

## ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊन्।, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम

श्री राम सिंह

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी अरिनयाला लोअर, डा० कोटला कलां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र अमनदीप का जन्म गांव अरिनयाला लोअर में दिनांक 25–09–1979 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-01-2018 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। 9644